न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र०नि०अधि), जनपद बस्ती।
पीठासीन अधिकारी: जितेन्द्र गुप्ता , एच०जे०एस०

UPBS010037812026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1162/2026

मो– समीर खान उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र मो० नासिर खान, निवासी रहमतगंज, मिल्लतनगर बेलवाडाड़ी, थाना कोतवाली, जिला बस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार **.....अभियोजक**

अपराध संख्या–169/2026
धारा–3/5 ए/8 गौवध निवारण अधिनियम
व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम
थाना–परसरामपुर, जनपद बस्ती।

दिनांक:–20.07.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **मो० समीर खान** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–169/2026, अन्तर्गत धारा–3/5 ए/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना–परसरामपुर, जिला–बस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है।

दिनांक 16/17.04.2025 को पुलिस पार्टी देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग कुशमौर घाट तिराहे पर मौजूद थी कि मुखबीर खास द्वारा आकर सूचना दिया गया कि कुछ व्यक्ति गोवंशीय जानवरों को घेर मारकर पकड़कर बांधे हैं तथा उनको गैर राज्य में बेजेंगे। मुखबीर की सूचना पर विश्वास करके पुलिस पार्टी मय मुखबीर घटनास्थल पर पहुंची, मुखबीर पैदल कुछ दूर से ले गया एवं दूर से इशारा करके हट बढ़ गया। मौक पर आड़ का सहारा लेकर देखा गया तो ग्राम पचौहा के पास बगीचे में कुछ गौवंश दिखे जिसको घेरकर कुछ लोग खड़े थे। दबिश देकर मौके पर पहुंचे तो, खड़े व्यक्ति भागने लगे जिनमें से कुल सात लोगों को पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति भीड़ व अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गये व्यक्तियों की जामातलाशी ली गया तथा नाम पता पुछा गया। टार्च की रोशनी में देखा गया तो कुल चार गौवंश पेड़ से रस्सी के सहारे बेरहमी से बंधे हुए थे। कड़ाई से गौवंशों के बारे में पुछे जाने पर बताये की बिहार राज्य ले जाकर बेंच देतें है जिससे काफी अच्छा पैसा मिलता है। बरामदशुदा चारों गौवंशों को पुलिस कब्जा में लिया गया।

3– अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रथम है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय अथवा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न दाखिल है, न विचाराधीन है, और न ही निर्णीत हुआ है। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमा में बयान मुल्जिम के आधार पर नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जिसकी सूचना मिलते ही स्वयं उपस्थित न्यायालय आकर श्रीमान् जी के समक्ष यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी को निरापराध, निराधार रूप से उपरोक्त अपराध में फंसाया गया है, प्रार्थी के खिलाफ लगाया गया समस्त आरोप झूठा व

Digitally signed by JITENDRA GUPTA
Date: 2026.07.20 16:30:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बेबुनियाद है। वादी ने कपोल कल्पित व मनगढ़न्त कहानी के आधार पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जिसमें लेशमात्र की सत्यता नहीं है। प्रार्थी को अन्य मुल्जिमानों के बयान के आधार पर उक्त मामले में नामित कर दिया गया है। प्रार्थी का उक्त घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी गोवध निवारण अधिनियम जैसा कोई अपराध कदापि कारित नही किया गया है लेकिन झूठे कथानक के आधार पर प्रार्थी को उक्त मामले में आरोपी बना दिया गया है। प्रार्थी मौके पर गिरफ्तार नही हुआ है, और न ही प्रार्थी का उक्त पशुओं से कोई लेना–देना है लेकिन थाना परसरामपुर, जनपद बस्ती की पुलिस ने विरोधियों के बहकावे में आकर उक्त मामले में नामित कर दिया गया है। सहअभियुक्तगण आयुष प्रताप सिंह, शहजाद हुसैन व राजेश यादव का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी सामाजिक किस्म के व्यक्ति है, केवल परेशान करने के लिए उक्त मामले में फर्जी तरह से अरोपी बना दिया गया है। प्रार्थी घर परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति है, फरार होने की भी रंचमात्र सम्भावना नहीं है। दौरान विचारण प्रार्थी देश से बाहर भी नही जायेगा। प्रार्थी अग्रिम जमानत का कोई दुरूपयोग नही करेगा दौरान विवेचना, विवेचनाधिकारी का पूरा सहयोग करता रहेगा। तथा माननीय न्यायालय के सभी आदेश को अक्षरता पालन करता रहेगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा करें।

4– राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि मामला धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित है, मामला गम्भीर प्रकृति का है, अभियुक्त जमानत पर छूटने पर पुनः अपराध कारित करेगा। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– उभय पक्ष के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6– पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मुकदमें में अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में मौके से पकड़े गये अभियुक्तगण के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है। अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार न करते हुए न्यायालय इस मत का है कि जमानत हेतु लिये गये आधार पर्याप्त है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त **मो० समीर खान** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **मो० समीर खान** उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र **<u>स्वीकार</u>** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय/सम्बंधित थानाध्यक्ष की संतुष्टि पर दाखिल करने अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. यह कि अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
2. यह कि अभियुक्त विवेचना/विचारण में सम्पूर्ण सहयोग करेगा तथा किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।

3. विचारण की स्थिति में न्यायालय में साक्षी के उपस्थित आने पर अभियुक्त कोई स्थगन नहीं देगा, साक्षी के आने पर स्थगन प्रस्तुत करने पर अभियुक्त की जमानत खारिज की जा सकेगी।
4. यह कि अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय की अनुमति के बिना देश की सीमा से बाहर नहीं जायेगा।
5. विचारण की स्थिति में अभियुक्त आरोप विरचित करने की तिथि तथा धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियुक्त के बयान दर्ज करने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा, कोई स्थगन नहीं देगा ।
6. यह कि अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को न तो तोड़ेगा और न ही अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिये कोई उत्प्रेरणा, वचन व धमकी या प्रलोभन देगा।

दिनांक 20–07–2026

(जितेन्द्र गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बस्ती।
J.O. Code–U.P.2665